

23/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री कौली द्वारा प.च. करीफ
रजकाय में व्यसा। पत्रावली प्रस्तुत।
दिनांक 9/7/25 को पेश।

(12)

9/12/25

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवज दिलाने पर भी सायल एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु० नं० 59/2024 इनवान ब्रवण बनाम राजस्थान सरकार T. 9. घामना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू ऐक्ट अदम परी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल धुमार ठोकर बाद तममील नं० से कम की जाकर मूल रावे के साथ शामिल मिसल रहे।

अदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अखण्ड अधिकारी
विप्लव सिटी (कौली)

दिनांक 12/12/25
आम तौर पर दिनांक 12/12/25
दिनांक 12/12/25